दुर्गाराम बनाम लुणाराम आदि
2025/12
निर्णय दिनांकः—02.02.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2015/12 दर्ज तिथि:— 02.04.2025

1. दुर्गाराम पुत्र लादूराम जाति धानक निवासी सिरसला तहसील व जिला चूरू

.................प्रार्थी

बनाम

1. लूणाराम पुत्र सहीराम जाति धानक निवासी सिरसला तहसील व जिला चूरू
2. असगर पुत्र इब्राहिम जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मोलीसर जिला झुंझुंनु
3. इलिया पुत्र इब्राहिम जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मोलीसर जिला झुंझुंनु
4. जाकिर पुत्र इब्राहिम जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मोलीसर जिला झूंझुंनु
5. सायरा पत्नी इब्राहिम जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मोलीसर जिला झुंझुनु
6. गफूर पुत्र नबु जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनु
7. मुस्ताक पुत्र दीने खां जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनु
8. मोहम्मद उमर पुत्र जाफर जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनु
9. मोहम्मद युसुफ पुत्र जाफर जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनु
10. हबीब पुत्र लाले खां जाति कसाई निवासी ख्याली तहसील मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनु
11. विजेश कुमार पुत्र हनुमानसिंह जाति धानक निवासी मकान संख्या एन.ए कॉलोनी झुझुनु
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिरसला तहसील व जिला चूरू
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा जाबासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु जरिए प्रबंधक
15. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू जरिए प्रबंधक

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:— नरेन्द्र सिहाग
अप्रार्थीगणः— अप्रार्थीगण अनुपस्थित

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र 111, 128 एल.आर.ए. भू राजस्व अधिनियम 1956

1. यह कि कृषि भूमि ख.नं. 709/558 तादादी 0.834[illegible] [illegible] रोही मौजा सिरसला तहसील चूरू प्रार्थी की एकल खातेदारी व कब्जा काश्त की [illegible] है [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2070—73 प्रस्तुत है यही वादगत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि की सीमा ज्ञान बाबत श्रीमान तहसीलदार चूरू अप्रार्थी सं. 12 के समक्ष पेश किया गया था– जिस पर श्रीमान तहसीलदार के आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.07.2024 को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 709/558 पर पहुंच क रनाम जोख कर सीमा ज्ञान करवाया गया जिसमें प्रार्थी काश्तकार की भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मोका पर कम पाई गई–इस आशय की फर्द मौका बना कर हल्का पटवारी के द्वारा अप्रार्थी सं. 12 तहसीलदार चूरू के समक्ष पेश कर दी गई राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौक पर प्रार्थी की कृषि भूमि कम पाये जाने के कारण से प्रार्ाी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपनी कृषि भूमि कम पाये जाने के कारण से प्रार्ाी द्वारा यह प्राथना पत्र अपनी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवाने के लिए यह प्राथना पेश किया जा रहा हैं फर्द मौका पटवारी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

3. यह कि प्रार्थी की उपर वर्णित वादगत कृषि ाूमि की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी तरफ की सींवे क्षतिग्रस्त व क्षीण है सीवें स्पष्ट नही होने से पूर्वी पश्चिमि दक्षिणी तरफ के खेत पड़ौसियों अप्रार्थीगण सं. 01 ता 11 के साथ उनकी कृषि भूमियों ख. नं. 982/783 तादादी 0.9811 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसला, कृषि भूमि खसरा नम्बर 250 तादादी 3.0983 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसला, कृषि भूमि खसरा नम्बर 715/557 तादादी 0.2529 हैक्अेयर रोही मौजा सिरसला की प्रार्थी की तरफ की सीवों को लेकर आये दिन विवाद होने की संभावना बनी रहती है। जिसके निदान व निवारण के लिए यह आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है।

4. यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार कहा व दूसरों से भी कहलाया गया कि वो मौका पर क्षतिग्रस्त व क्षीण हुई अस्पष्ट सीवों को ठहक कर लेवें व प्रार्थी को भी करने देवे– इस पर पहले तो अपाथ्रीगण हां हूं करते रहे मगउ आखिर में दिनांक 21.03.2025 को ऐसा करने से स्पष्ट रू‍ से इन्कार हो गये। प्रार्ाी वादगत कृषि भूमि को खातेदार काबिज काश्तकार होने इस प्राथना पत्र के प्रति प्रार्थी को यह प्राथना पत्र पेश करने का आधार प्राप्त है– अप्रार्थीगण के द्वारा की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र के प्रति कारण प्राप्त है।

5. यह कि वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी सं. 12 के पावर व पजेशन में है प्रार्थी प्राथना पत्र स्वीकार होकर आदेशित किये जाने पर मुताबिक आदेश के सारी कार्यवाही अप्रार्थी सं. 12 के द्वारा की जानी है इसलिए अप्रार्थी सं. 12 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्राथना पेश करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 12 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है।

6. यह कि गौण अप्रार्थी संख्या 13 बैक के यहां प्रार्थी ने व अप्रार्थी सं. 01 ने अपनी खातदोरी की कृषि भूयि रहन रखी है गौण अप्रार्थी सं. 14 बैके यहां अप्रार्थी सं. 10 ने अपनी कृषि भूमि रहन रख रखी है इसलिए अप्रार्थी गण संख्या 13, 14 व 15 बैंको को तकमीन गौण अप्रार्थीगण पक्षकार प्रार्थना पत्र में बनाया गया है।

7. यह कि प्रार्थी पत्थर गढी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित शुल्क व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है माननीय न्यायालय का जब भी आदेश होगा प्रार्थी शुल्क व खर्चा जमा करवा देगा।

8. यह कि वादगत कृषि भूमि 709/558 तादादी 0.8347 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसला तहसील चूरू श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण से इस प्रार्थना–पत्र के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 709/558 तादादी 0.8347 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसला तहसील चूरू जिला चूरू की सीमा ज्ञान करवाया जा कर सींवो पर पुख्ता सीमा चिन्ह करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण पर जरिये रजि. डाक तलबी के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली का सम्यक परीक्षण किया गया, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों पर विचार किया गया। प्रार्थी का कथन है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 709 / 558 रकबा 0.8347 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसला, तहसील एवं जिला चूरू उसकी एकल खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की भूमि है, जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा यह भी बताया गया है कि उसने उक्त भूमि के सीमा ज्ञान के संबंध में तहसीलदार, चूरू के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार के आदेशानुसार हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.07.2024 को मौके पर पहुंचकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नाप–जोख कर सीमा ज्ञान किया गया। उक्त कार्यवाही में यह तथ्य सामने आया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर प्रार्थी की कृषि भूमि कम पाई गई। इस संबंध में फर्द मौका तैयार कर हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार, चूरू के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि वादगत कृषि भूमि की पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी दिशा की सीमें क्षतिग्रस्त एवं क्षीण अवस्था में हैं, जिसके कारण पड़ोसी खातेदारों–अप्रार्थी संख्या 01 से 11 की सन्निहित कृषि भूमियों से सीमा को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है तथा भविष्य में शान्ति भंग एवं विवाद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार आपसी सहमति से सीमा निर्धारण एवं पत्थरगढ़ी कराने हेतु कहा गया, परंतु अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.03.2025 को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को विधिवत समन जारी किए गए, किन्तु रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामील के बावजूद कोई भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 709 / 558 प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। साथ ही, पटवारी द्वारा तैयार फर्द मौका से यह भी परिलक्षित होता है कि मौके पर भूमि का रकबा राजस्व रिकॉर्ड से कम पाया गया है तथा सीमा चिन्ह स्पष्ट नहीं हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 एवं 128 के अंतर्गत खातेदार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान एवं स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है, विशेषकर तब जब सीमाएँ अस्पष्ट हों तथा पड़ोसी खातेदारों के साथ विवाद की संभावना बनी हुई हो। सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी का उद्देश्य विवादों की रोकथाम, राजस्व अभिलेखों के अनुरूप भूमि की पहचान तथा भविष्य में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना है।

उपलब्ध तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी का आवेदन विधिसंगत, न्यायोचित एवं स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्[illegible]पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वी[illegible] (अप्रार्थी संख्या 12) को निर्देशित किया जाता है कि वह [illegible] / कार्मिकों के माध्यम से कृषि भूमि खसरा नम्बर 709 / 558 रकबा 0.8347 हैक्टेयर, रोही मौजा सिरसला, तहसील चूरू

का सीमा ज्ञान करवा कर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना देकर एवं नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाए। सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी पर होने वाला निर्धारित शुल्क एवं व्यय प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा कराया जाएगा।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested